FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतू मुकाम

हिरताराम बनाम जगराम वगैरह

किस्म मुकदमा रा० आवे० 111, 128 RLRAct नं. 245/18 सन् 2018

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/10/18	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री जोगेन्द्र कुमार ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 RLRAct राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 17/12/18 को पेश हो। — sd —	
17/12/18	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीयों के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली कीया गया। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी अवकाश में पधारे हुए हैं अतः मिसल ईल्तवा होकर आगामी दिनांक 31/12/18 को पेश हो। sd	
31/12/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी गण अनुपस्थित। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी डिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल ईल्तवा होकर आगामी दिनांक 14/01/2020 को पेश हो। sd	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 13:15:09 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म

ख हुक्म

20/05/20

14/01/2020

पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त है। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 16/04/19 को पेश हो।

16/04/19

प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण अनुपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी का उपखण्ड दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 29/07/2020 को पेश हो।

29/07/19

पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त है। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 05/11/19 को पेश हो।

05/11/19

प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अन्तिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई विपक्षीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विपक्षीगणों के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है अतः वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 20/01/20 को पेश हो।

सहायक [illegible]
(SDO) [illegible]

20/01/20

पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त है। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 03/03/20 को पेश हो।

03/03/20

पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त है। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 20/05/20 को पेश हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 13:15:09 IST
Reason: SelfAttested

रीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/05/20	पत्रावली आज पेश हुई। कोविड-2019 के चलते कोई नहीं लिया गया। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 22/07/20 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
22/07/20	पत्रावली आज पेश हुई। हकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त है। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 28/10/20 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
28/10/2020	प्रार्थी वकील उपस्थित / विप्रार्थीगण अनुपस्थित / प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया की प्रार्थी व विप्रार्थीगणो के खातेदारी खेत सेना तेड आये हुए है प्रार्थी व विप्रार्थीगणो के खेतो के मध्य जो पुरानी मेड व कणे आये हुए थे जो वर्तमान मे आंधियो की वजह से बिखर गये हैं जिससे प्रार्थी को अपने खेत के मेडो का सही ज्ञान नही हो पा रहा है / प्रार्थी व विप्रार्थीगणो के मध्य खेत के मेडो को लेकर हमेशा तनाव बना रहा है। प्रार्थी को अपने खेत के मेडो का सही ज्ञान करने हेतु नेखमनदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का नेखमनदी आवेदन स्वीकार किया जाकर नेखमनदी आदेश किया जावे अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमनदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार जायतु को कमिश्नर व सम्बन्धित भू० अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतो की पक्की नेखमनदी मौके पर कमिश्नर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पत्रावली हो। फैसल शुमार हो... कम हो, दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 13:15:09 IST
Reason: SelfAttested

(मुहर) सहायक कलेक्टर ... (SDO) जायतु

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु जिला बाड़मेर

क्रमांक / आवेदन / 2020 / 890 दिनांक :– 28/10/2020

राजस्व आवेदन संख्या –245 / 2018

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
श्री किरताराम पुत्र जोधाराम जाति–जाट निवासी–मेहराजाणियों की बेरी, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर		श्री जगराम पुत्र अचलाराम वगैरा 34, निवासी–मेहराजाणियों की बेरी, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा–बाटाडू, पटवार मण्डल–बाटाडू, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 1772 रकबा 08.11 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वयं या सहायक कमिशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनर शुल्क 500 / – जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता हैं।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

कमांक / आवेदन / 2020 / 891 – 895 दिनांक :– 28/10/2020

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार, बायतु।
2. पटवारी हल्का, बाटाडू को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री किरताराम पुत्र जोधाराम।
4. विप्रार्थीगण श्री जगराम पुत्र अचलाराम वगैरा 34।
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 13:15:09 IST
Reason: SelfAttested